NABARD

संदर्भ सं. राबैं. डीओआर/ 384 /ए1.जन /2023-24

परिपत्र सं. राबैं. 131 / डीओआर - 22 / 2023 16 जून 2023

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त अल्पावधि (एसटी)-स्थिर ब्याज दर पर पुनर्वित्त का प्रावधान – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 18 अप्रैल 2022 के परिपत्र सं.राबै. 83/डॉर -30/2022-23 को देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त अल्पावधि पुनर्वित्त की मंजूरी संबंधी परिचालन दिशानिर्देश सूचित किए गए थे. इन परिचालन दिशानिर्देशों को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी जारी रखा गया हैं जिसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है.

2. अतिरिक्त अल्पावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत कुल मंजूर सीमा, अनुलग्नक-I के पैरा '4' के अनुसार होगी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस ऋण व्यवस्था के तहत, एसटीआरआरबी निधि के अंतर्गत आहरित राशि सहित, जीएलसी की पात्र सीमा तक या मामले के अनुसार राशि आहरित कर सकते हैं.

3. आप अतिरिक्त अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालान) ऋण सीमा की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन अपने राज्य के नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं.

4. यह दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध हैं.

5. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.

भवदीय

(वी के सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

अनुलग्नक-I

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

1. अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि **01.04.2023 से 31.03.2024** तक होगी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त केवल इस परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋणों के लिए प्रदान किया जाएगा.

2. सीमा की मंजूरी

क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) की सीमा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की **धारा 21(1)(i)** के साथ पठित **धारा 21(4)** के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निष्पादित डीपीएन के समक्ष मंजूर की जाएगी.

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रत्येक आहरण के समय लिखित रूप में घोषित करना होता है कि प्रस्तावित आहरण और पहले से प्राप्त पुनर्वित्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के समक्ष है और पर्याप्त गैर-अतिदेय ऋणों द्वारा कवर किया गया है.

3. पात्रता मानदंड

3.1 लेखा परीक्षा

(क) वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्रा बैंक) की लेखापरीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और वित्तीय विवरणों के साथ संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष की पहली तिमाही में ऋण आवेदन पर विचार करने के लिए नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए. इसके अलावा 2022-23 के लिए, क्षेग्रा बैंक की लेखा परीक्षा पूरी की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट 30.06.2023 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए.

(ख) पहली तिमाही अर्थात् 30 जून 2023 तक पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2022 या 31.03.2023 (यदि लेखापरीक्षित स्थिति 31.03.2023 तक उपलब्ध हो) की स्थिति के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. 01.07.2023 से पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा.

(ग) 01.07.2023 को या उसके बाद पुनर्वित्त की स्वीकृति/आहरण की अनुमति केवल उन्हीं क्षेग्रा बैंक को दी जाएगी, जिन्होंने लेखा परीक्षा पूरी की है और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है जो पात्रता मानदंडों की दृष्टि से संतोषजनक है.

3.2 नाबार्ड द्वारा क्षेग्रा बैंक की आंतरिक जोखिम रेटिंग

3.2.1 अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत एनबीडी 1 से एनबीडी 7 आंतरिक जोखिम रेटिंग वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत एनबीडी 8 से एनबीडी 9 आंतरिक जोखिम रेटिंग वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं होंगे

3.2.2 जोखिम रेटिंग का मूल्यांकन सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये वित्तीय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को जोखिम रेटिंग के लिए मान्य किया जाएगा.

4. पुनर्वित्त की मात्रा

वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में मंजूरी के लिए पुनर्वित्त की मात्रा निम्नानुसार रहेगी:

4.1 सामान्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम रेटिंग	पात्र सीमा
एनबीडी1– एनबीडी4	50%
एनबीडी5 – एनबीडी7	45%
एनबीडी8 – एनबीडी9	पात्र नहीं

4.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार 25% की अतिरिक्त ऋण सीमा के लिए पात्र होंगे:

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम रेटिंग	पात्र सीमा
एनबीडी1 – एनबीडी4	75%
एनबीडी5 – एनबीडी7	70%
एनबीडी8– एनबीडी9	पात्र नहीं

4.3 पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों (भारत सरकार की बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत) में क्षेग्रा बैंक निम्नानुसार 5% की अतिरिक्त ऋण सीमा के लिए पात्र होंगे:

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम रेटिंग	**पात्र सीमा**
एनबीडी1– एनबीडी4	55%
एनबीडी5 – एनबीडी7	50%
एनबीडी8 – एनबीडी9	पात्र नहीं

4.4 वर्ष 2023-24 के लिए आरएलपी पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित फसल ऋण में औसत वृद्धि दर के आधार पर (पिछले चार वर्षों के संवितरित फसल ऋण आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए) निकाला जा सकता है. हालांकि, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ऐसा आरएलपी स्वीकार कर सकता है जो आरआरबी द्वारा निर्धारित आरएलपी से कम या अधिक हो सकता है.

4.5 क्षेग्रा बैंक को जीएलसी की पात्र सीमा तक (एसटीआरआरबी निधि के अंतर्गत आहरित राशि सहित) आहरण की अनुमति दी जा सकती है.

4.6 यह सीमा केवल किसान स्तर पर रु 3 लाख तक जारी केसीसी फसल ऋणों के लिए उपलब्ध होगी.

4.7 ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा विशेष प्रयास किए जा सकते हैं ताकि इन जिलों में ऋण उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ाई जा सके.

4.8 इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्वित्त को बैंक के स्वामित्व वाली निधि के रूप में माना जाएगा. वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज सहायता भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी.

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विलय

विलय किए गए बैंकों के मामले में अधिसूचना/ विलय की तिथि के अनुसार, नए/ विलय किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति, विशेष लेखा परीक्षा के आधार पर या 31.03.2022 को पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल लेखा परीक्षा की स्थिति, ऐसे नए क्षेग्रा बैंकों के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान सीमा की मंजूरी का आधार बनेगी. इसके अलावा, यदि 31.03.2023 की तिथि में सांविधिक लेखापरीक्षा स्थिति उपलब्ध है, तो बैंकों की ऋण सीमा की स्वीकृति के लिए इसके आधार पर विचार किया जाएगा.

6. पुनर्वित्त पर ब्याज दर

6.1 ब्याज दर

(क) पुनर्वित्त पर ब्याज दरें नाबार्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाएंगी.

(ख) ब्याज अब तक की तरह 01 अक्तूबर और 01 अप्रैल को अर्धवार्षिक अंतराल पर देय है.

(ग) बैंक द्वारा पूरी मूलधन राशि चुकाने की स्थिति में मूलधन के साथ ब्याज देय होगा.

6.2 चूक की स्थिति में दंडात्मक ब्याज

जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मूलधन की चुकौती, ब्याज और/ या अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को निर्धारित देय तिथियों तक पूरा करने में विफल रहते हैं, वे नाबार्ड से किसी भी प्रकार की पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे. बैंक द्वारा की गई चूक को समाप्त करने के बाद ही पुनर्वित्त की बहाली पर विचार किया जा सकता है. चूक की स्थिति में, जिस ब्याज दर पर पुनर्वित्त संवितरित किया गया था, उससे 2% प्रति वर्ष अधिक दंडात्मक ब्याज, चूक राशि पर और उस अवधि के लिए जिसके लिए चूक बनी रहती है, वसूल किया जाएगा. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

7. चुकौती के लिए नोटिस

(क) सीमा के समक्ष आहरित राशि मांग करने पर देय होगी. प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और जिसे आमतौर पर आहरण की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा.

(ख) 12 महीने की समाप्ति से पहले चुकौती **(आंशिक या पूर्ण)** 15 कार्य दिवसों की न्यूनतम नोटिस अवधि **या मूलधन के साथ 15 दिनों के ब्याज भुगतान के साथ** नाबार्ड द्वारा स्वीकार की जा सकती है. यदि आहरण की तिथि के 30 दिन बाद चुकौती की जाती है तो नोटिस अवधि में छूट दी जा सकती है.

(ग) **सभी पूर्वभुगतान को संवितरण के कालानुक्रमिक क्रम में बकाया ऋण/अग्रिम में विभाजित किया जाएगा अर्थात 'पहले आओ पहले पाओ' (First out First in)**

8. परिचालनात्मक अनुशासन

8.1 निर्धारित सीमा से अधिक आहरण

फसल ऋण संवितरण या एनओडीसी के बारे में गलत डेटा की रिपोर्टिंग के कारण पुनर्वित्त की अनुमेय मात्रा से अधिक आहरण प्राप्त करने के मामले पर नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा. ऐसे मामलों में, नाबार्ड बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 3 दिनों के भीतर 1% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज के साथ वापस माँग सकता है.

8.2 गैर अतिदेय कवर

(क) ऋण सीमा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आहरण की अनुमति कुल एनओडीसी (एनओडीसी की सामान्य सीमा सहित) की उपलब्धता के अधीन होगी. इस प्रयोजन के लिए, क्षेग्रा बैंकों को नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि वह अगले महीने की 20 तारीख तक प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकें.

(ख) प्रत्येक आहरण के समय, बैंक द्वारा आहरण की तिथि को कुल एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिन, कुल सामान्य अल्पावधि (मौकृप) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) बकाया उस तारीख को उपलब्ध कुल एनओडीसी से अधिक नहीं होना चाहिए.

8.3 एनओडीसी की कमी पर दंडात्मक ब्याज

क्षेग्रा बैंकों को एनओडीसी का नियमित रूप से अनुप्रवर्तन करने की आवश्यकता है और क्षेग्रा बैंकों को एनओडीसी में कमी, यदि कोई हो, को तुरंत दूर करना चाहिए, ताकि नाबार्ड से उधार के लिए पर्याप्त गैर-अतिदेय कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. यदि क्षेग्रा बैंक इस तरह की कमी के घटित होने की तारीख से एक महीने के भीतर इस कमी को पूरा करने में विफल रहता है, तो @ 1% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज एनओडीसी में कमी पर, कमी की अवधि के लिए यानी उस तारीख तक प्रभारित किया जाएगा जब तक कमी की राशि को नियमित नहीं किया जाता है. हालांकि, कुल एनओडीसी सीमा के उपलब्ध रहते हुए, कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा.

8.4 बकाया ऋणों में मूलधन और ब्याज का पृथक्करण

क्षेग्रा बैंक बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय / गैर-अतिदेय ब्याज) को अलग कर सकते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता की पात्रता तय करने के लिए, ऋण सीमा आवेदन और आहरण आवेदन दोनों के लिए अपने आवेदनों में केवल मूल ऋण राशि का उल्लेख करें. इसके अलावा, मासिक एनओडीसी विवरण में केवल ऋण के मूल भाग (जारी, वसूल, बकाया और अतिदेय) की सूचना दी जानी चाहिए.

9 चूक की निकासी

मूलधन के पुनर्भुगतान, ब्याज के भुगतान और/ या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड से किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि संबंधित चूक की दूर नहीं की जाती.

10. निरीक्षण का अधिकार

नाबार्ड क्षेग्रा बैंक के लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने/ करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

11. विशेष लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार

नाबार्ड के पास स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से क्षेग्रा बैंक के खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि बैंक द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री को नियम और विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है और पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है.

12. अन्य

अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए लागू अन्य सभी नियम और शर्तें अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त पर भी लागू होंगी.

****